

**HARYANA GOVERNMENT
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION**

The 06.06.2018

No. 1/69/2010-1HC .- Whereas the Governor of Haryana considers it expedient that precautions shall be taken to prevent the entry of unauthorized persons into certain places;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923(Central Act 19 of 1923) read with Government of India, Ministry of Home Affairs, notification No. S.O. 1788, dated the 19th May, 1967, published in the Government of India Gazette, dated the 27th May, 1967, the Governor of Haryana hereby declares the place specified in column 1 of the Schedule given below to be a prohibited place for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

<u>Name of Prohibited Place</u>	<u>Locality and other description</u>
<u>1</u>	<u>2</u>
400/220 K. V. Sub-Station Power Grid Corporation of India Limited, Village Jaggi, Post Office Juan, Tehsil and District Sonapat. Jajji 33.83+ Badshapur Machari 0.98 acre Total area= 34.81 acre	Village Jaggi, Post Office Juan, Tehsil and District Sonapat. All the roads of Villages adjoining 400/220 K.V.Sab-Station have been kept out of prohibited area.


Dated Chandigarh 10.04.2018

Dr.S.S.Prasad,
Additional Chief Secretary
to Government, Haryana, Home Department.

Endst. No. 1/69/2010-1HC

Dated Chandigarh, the 06.06.2018

A copy of the same is forwarded to the Controller, Printing and Stationary, Haryana for publication in the Government Gazette (Extraordinary) and 150 copies thereof be supplied to the Home Department immediately.



Superintendent Home(C)
for Additional Chief Secretary
to Government Haryana, Home Department

Endst. No. 1/69/2010-1HC

Dated Chandigarh, the 06.06.2018

A copy to forwarding to the following for information & necessary action:-

1. The Section Officer Govt., of India, Ministry Of Power, Sharam Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.
2. The Director General of Police, Haryana.
3. All the District Magistrate in Haryana.
4. The Deputy General Manager, 400/220 K. V. Sub-Station, Power Grid Corporation of India Limited Village Jaggi, Post Office Juan, Tehsil & Distt. Sonapat.
5. ALR-cum-Under Secretary (Law) to the Government of Haryana.
6. The Technical Officer, IT Cell, Home Department, Haryana (in Home-IV Branch).


Superintendent Home(C)
for Additional Chief Secretary
to Government Haryana, Home Department



हरियाणा सरकार
गृह विभाग
अधिसूचना

दिनांक 06.06.2018

संख्या-1/69/2010-1एच.सी.,-चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल के ध्यान में आया है कि कतिपय स्थानों में अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए पूर्वोपय किये जाने समीचीन हैं;

इसलिए, अब, भारत सरकार के राजपत्र, दिनांक 27 मई, 1967 में प्रकाशित, भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, अधिसूचना संख्या का0 आ0 1788, दिनांक 19 मई, 1967 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम 19), की धारा 2 के खण्ड (8) के उप-खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट स्थान को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध स्थान के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:-


अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम	परिक्षेत्र तथा अन्य विवरण
1	2
400/220 के वी उप-केन्द्र पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड गांव -जाजी, डाक घर-जुआँ, तहसील तथा जिला - सोनीपत जाजी -33.83 बादशाहपुर माछरी - 0.98 कुल क्षेत्रफल -34.81 एकड़	गांव -जाजी, डाक घर-जुआँ, तहसील तथा जिला- सोनीपत 400/220 के वी उप-केन्द्र पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के साथ लगते गांव के सभी रास्तों को प्रतिबन्धित क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

दिनांक चण्डीगढ़ 10.04.2018

डा0 एस0एस0 प्रसाद
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग चण्डीगढ़।

इसकी एक प्रति कन्ट्रोलर, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को इस आग्रह के साथ प्रेषित की जाती है कि उक्त अधिसूचना को हरियाणा सरकारी राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया जाए और उसके उपरान्त इसकी 150 प्रतियां गृह विभाग को तुरन्त उपलब्ध करवाई जाएं।




अधीक्षक, गृह (सी.)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग

इसकी एक **पंजीकृत प्रति** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैं:-

- 1 अनुभाग अधिकारी, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार श्रम शक्ति भवन रफी मार्ग नई दिल्ली।
- 2 पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पंचकूला।
- 3 हरियाणा के सभी जिला न्यायाधीश।
- 4 उप महा प्रबन्धक 400/220 के वी उप-केन्द्र पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड गांव -जाजी, डाक घर-जुआँ, तहसील व जिला - सोनीपत।
- 5 ए.एल.आर.- कम- अवर सचिव (कानून), हरियाणा सरकार।
- 6 तकनीकी अधिकारी, आई. टी. सैल, गृह विभाग, हरियाणा (गृह शाखा-IV)।



अधीक्षक, गृह (सी.)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
गृह विभाग